न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 44/2016

आरसीएमएस नम्बर– 2016/00190

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
नाथुराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी नोख ग्राम पंचायत रामपुरा कला तहसील रायपर जिला पाली		1 रूपाराम पुत्र केसाराम जाति प्रजापज निवासी नोख तहसील रायपुर जिला पाली 2 ग्राम पंचायत रामपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति, रायपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक: 30/08/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत रामपुरा कला द्वारा मिसल संख्या 06/1997–98 में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 22.05.1999 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 000522 दिनांक 22.05.1999 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नोख में प्रार्थी का पुश्तैनी मकान है, जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने कब्जासुदा भूमि में से डेढ फुट गली छोडकर मकान का निर्माण किया हैं तथा गली की तरफ दीवार में खिडकियां तथा रोशनदान बने हुए हैं। प्रार्थी के रहवासी मकान के दक्षिण दिशा में स्थित गली को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया, जिसकी आड में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त गली एवं प्रार्थी के मकान के रोशनदान आदि को बन्द करने पर आमादा हुआ, जिस पर प्रार्थी ने आपत्ति व्यक्त की, तब प्रार्थी को जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की प्रतियां प्राप्त की। ग्राम पंचायत को गली की भूमि का पट्टा जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं थी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि में से छोडी गई गली को अपनी भूमि होना बताते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह पट्टा 425 रूपये जमा कर नियम 157 के तहत जारी किया जाना है, जबकि नियम 157 के तहत

अति. जिला कलक्टर, पाली

पुराने मकानों के नियमितिकरण के प्रावधान है, जो राशि 100 अथवा 200 में किया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आवेदन पत्र पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना जाहिर किया है, उस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए, उस पर सरपंच के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार प्रकरण हाजा में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध हैं। प्रकरण में बयान किस आदेश से एवं किनके समक्ष कलमबद्ध किए गए, कहीं भी अंकन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त गोविन्दसिंह पुत्र कल्याणसिंह के नाम पट्टा संख्या 000523 दिनांक 23.07.1998 को जारी किया गया है, जबकि इससे पूर्व का पट्टा संख्या 000522 दिनांक 22.05.1999 को जारी करना अंकित किया गया है, जो संभव ही नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। जिस आज्ञा की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी करना अंकित किया है, उस दिनांक को उक्त आज्ञा में जैर निगरानी मिसल का इन्द्राज ही नहीं हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी एवं गैर कानूनी हैं, जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए निष्पादित की गई हैं। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा आरम्भ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का रहवासीय पुराना कच्चा मकान निर्मित था, जिसका पट्टा दिलाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाया। इस पर ग्राम पंचायत ने विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा अपने मकान के खिडकियां आदि हेतु गली छोडना बताया है, किन्तु जिस भूमि का प्रार्थी अपना स्वामित्व बताता है, उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज यथा पट्टा आदि प्रस्तुत नहीं किया हैं। इस स्थिति में यह साबित ही नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की कब्जासुदा गली में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया हो। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत मौका आदि जांच कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर निगरानी आज्ञा एवं सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से मकान का पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पत्र ग्राम पंचायत रामपुरा कला के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा मकान के जो पडौस अंकित किए गए है, उसमें कांट–छांट हैं। इस आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 07.02.1998 को मिसल कायम की जाकर आगामी मिटींग में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए, जिसकी पालना में दिनांक 09.02.1998 को मिसल कोरम के समक्ष प्रस्तुत करना अंकित है,

अति. जिला कलेक्टर, झालावाड़

जिस पर तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु एवं नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार किया गया, जिसमें पडौस अंकित नहीं हैं, मात्र भुजाओं का क्षेत्रफल ही अंकित हैं। पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें आपसी बातचीत के आधार पर राशि का निर्धारण कर पट्टा जारी करोन का निवेदन किया, साथ ही बिन्दु संख्या (ड) में यह अंकित कि कि "हाँ, दिनांक 23.02.1998 के पंचायत बैठक की अनुपालना में आपत्ति प्रपत्र –50 निकाला गया था।" जबकि उक्त रिपोर्ट दिनांक 23.02.1998 को ही ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए थे, जबकि पंचों द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत को, उसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पंचो की रिपोर्ट दिनांक 23.02.1998 के पश्चात प्रस्तुत की गई थी, जिसे रेकर्ड में दिनांक 23.02. 1998 को प्रस्तुत होना दर्शाया है, जो विरोधाभाषी हैं। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23.02.1998 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो गवाहों की उपस्थिति में चस्पा किया गया। इसके पश्चात दिनांक 22.05.1999 को निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत 425/– रुपये जमा करने पर पट्टा जारी कराने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। जिन गवाहों ने कब्जे के समर्थन में बयान कलमबद्ध करवाए है, प्रथमतः तो बयान कलमबद्ध करवाने का कोई आदेश नहीं था, इसके अतिरिक्त भी गवाहों द्वारा अपने बयानों में यह कथन किया गया है कि "उक्त प्लाट का पट्टा रूपाराम के पक्ष में बनाया जाता है, तो किसी को आपत्ति नहीं है।" जैर निगरानी आज्ञा नियम 157 के तहत पट्टा बनाने हेतु जारी की गई हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि के 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि प्रकरण हाजा में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूखण्ड है अथवा पुराना मकान ? हालांकि मिसल के संलग्न जिन गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए है, उन्होने अपने बयानों में भूमि की प्रस्थिति प्लॉट के रूप में दर्शाई है, जो मौके पर विवादित भूमि को भूखण्ड के रूप में स्थापित करती हैं। इसके अतिरिक्त भी माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर द्वारा प्रकरण संख्या 66/2016 नाथुराम बनाम रूपाराम में तलब की गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट तथा मौके के फोटाग्राफ के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रार्थी के मकान की दीवार में स्थित खिडकी एवं रोशनदान को बाधित कर रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर पुराना मकान निर्मित नहीं हैं तथा न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी पर पूर्व में पुराना मकान रहा हो,

अति. जिला कलेक्टर, बाली

जिसे गिराया जाकर नया मकान निर्माण किया जा रहा हो। इस स्थिति में प्रकरण हाजा में ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत जो आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया हैं, वह उक्त नियम की परिधी में शुमार नहीं होता हैं। इस कारण ग्राम पंचायत रामपुरा कला द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रामपुरा कला द्वारा मिसल संख्या 06/1997–98 में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 22.05.1999 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 000522 दिनांक 22.05.1999 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत रामपुरा कला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30/08/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली